शिवम आदि **बनाम** दौलत राम आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 76 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/420

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 53/53 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 1.898 हैक्टेयर भूमि व चक 20 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 59/31 के मुरब्बा नम्बर 34, 43 की कुल 4.757 हैक्टेयर, खाता संख्या 115/64 के मुरब्बा नम्बर 43 की कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि अप्रार्थीगण की स्वंयअर्जित भूमि है, जिसमें से प्रार्थीगण कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा अप्रार्थीगण वादगत भूमि के अभिलिखित खातेदार है। यदि अभिलिखित खातेदार अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1, 2 इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 53/53 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 1.898 हैक्टेयर भूमि में दौलत राम पुत्र डूंगरराम के नाम दर्ज 1.518 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 20 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ, तहसील गंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 115/64 के मुरब्बा नम्बर 43 की 1.771 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक बनाए रखें। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)